

ACP:
Please file

9/11/19

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक: प.1(2)बेरो.भत्ता/12-18/पार्ट-III

जयपुर, दिनांक

09 OCT 2019

आदेश

श्रम एवं नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक प.1(2)बेरो.भत्ता/2012-13/6105-6209 दिनांक 11.06.2019 के द्वारा राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के दिशा निर्देशों से संबंधित आदेश क्रमांक प.1(2)बेरो.भत्ता/2012-13/6105-6209 दिनांक 11.06.2019 के विद्यमान बिन्दु संख्या-5 (ii) एवं बिन्दु संख्या-7 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

बिन्दु संख्या-5(ii):-“(ग) ट्रान्सजेन्डर श्रेणी के आशार्थी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से प्रदत्त स्नातक डिग्री धारक” होना चाहिये।

बिन्दु संख्या-7:-“(स) ट्रान्सजेन्डर श्रेणी के लिये पात्र आशार्थी 3500/- रुपये प्रतिमाह”।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101904162 दि.13.09.2019 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

३२

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर।
- 3 व.शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
- 6 संभागीय आयुक्त-----।
- 7 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 8 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- 9 आयुक्त कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक (स्व. रोजगार), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर।
- 11 ए.सी.पी. (उप निदेशक), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 12 रोजगार विभाग के समस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान।

३२

सहायक शासन सचिव

